दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर कन्वेंशन

संयुक्त राष्ट्र

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन

प्राक्कथन

इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य,

(क) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में घोषित सिद्धांतों का स्मरण करते हुए, जिसमें दुनियाभर में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव के रूप में मानव परिवार के सभी सदस्यों के अंतर्निहित सम्मान और गरिमा और समान और अविच्छेद्य अधिकारों को स्वीकार किया गया है,

(ख) *यह स्वीकार करते हुए* कि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों में घोषणा की है और सहमति व्यक्त की है कि हर कोई किसी भी प्रकार के विभेद के बिना, उसमें निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है,

(ग) सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, अन्योन्याश्रयता और अन्तरसम्बद्धता और बिना किसी विभेद दिव्यांग व्यक्तियों को उनके पूर्ण आनंद की गारंटी देने की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए,

(घ) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, सभी प्रकार के नस्लीय विभेद के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के विभेद के उन्मूलन पर कन्वेंशन, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के खिलाफ कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, और सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का स्मरण करते हुए,

(ङ) *यह स्वीकार करते हुए* कि दिव्यांगता एक उद्विकासी अवधारणा है और यह कि दिव्यांगता, दिव्यांग व्यक्तियों और अभिवृत्ति एवं पर्यावरणीय बाधाओं के बीच अंतक्रिया का परिणाम होती है जो समाज में दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधक है,

(च) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों को और अधिक समान करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्रवाईयों के संवर्धन, निर्माण और मूल्यांकन को प्रभावित करने में दिव्यांग व्यक्ति संबंधी विश्व कार्रवाई कार्यक्रम और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के समानीकरण संबंधी मानक नियमों में निहित सिद्धांतों और नीति दिशानिर्देशों के महत्व को स्वीकार करते हुए,

(छ) दिव्यांगता के मुद्दों को सतत विकास संबंधी कार्यनीतियों के अभिन्न अंग के रूप में मुख्यधारा में लाने के महत्व पर बल देते हुए,

(ज) यह भी स्वीकार करते हुए कि दिव्यांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य का उल्लंघन है,

(झ) इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों की विविधता को स्वीकारते हुए,

(ञ) सभी दिव्यांग व्यक्तियों, अधिक गहन सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग जनों सहित, के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए,

(ट) इससे चिंतित कि इन विभिन्न दस्तावेजों और प्रतिबद्धताओं के बावजूद, दिव्यांग व्यक्ति, अभी भी समाज के समान सदस्यों के रूप में अपनी भागीदारी में बाधाओं और दुनियाभर हिस्सों में अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना कर रहे हैं,

(ठ) प्रत्येक देश में, विशेष रूप से विकासशील देशों में, दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की स्थितियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकारते हुए,

(ड) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने समुदायों के समग्र कल्याण और विविधता के लिए किए गए वर्तमान मूल्यवान और संभावित योगदान, और यह स्वीकारते हुए कि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अपने मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का पूर्ण फायदा उठाने और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने से उनमें अपनत्व के भाव का विकास होगा और समाज के मानव, सामाजिक और आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति होगी,

(ढ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने सहित अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकारते हुए,

(ण) यह ध्यान में रखते हुए कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तौर पर उनसे संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों सहित नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए,

(त) उन दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों के विषय में चिंतित हैं जो नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य अभिमत, राष्ट्रीय, जातीय, स्वदेशी या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, आयु या अन्य हैसियत के आधार पर विभेद के कई या गंभीर रूपों का सामना कर रहे हैं।

(थ) यह स्वीकारते हुए कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को प्राय: घर के भीतर और बाहर हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या उपेक्षापूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार या शोषण का अधिक जोखिम होता है,

(द) यह स्वीकारते हुए कि दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के साथ समान आधार पर सभी मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए राज्य पक्षकारों द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए की गई प्रतिबद्धताओं का स्मरण करते हुए,

(ध) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों में एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य को समाविष्ट करने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

(न) इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति गरीबी की स्थिति में रहते हैं, और इस संबंध में, दिव्यांग व्यक्तियों पर गरीबी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की नितांत आवश्यकता को स्वीकारते हुए,

(ऩ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए पूर्ण सम्मान पर आधारित शांति और सुरक्षा की स्थितियों और दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से सशस्त्र संघर्षों के दौरान और विदेश में व्यवसाय के लिए, लागू मानवाधिकार समझौतों का पालन अपरिहार्य है,

(प) दिव्यांग व्यक्तियों को सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठाने में सक्षम करने के लिए शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सूचना एवं संचार तक पहुंच के महत्व को स्वीकारते हुए,

(फ) यह मानते हुए कि व्यक्ति, अन्य व्यक्तियों और अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक में मान्यता प्राप्त अधिकारों का प्रचार-प्रसार करने और उनका पालन के लिए प्रयास करने का उत्तरदायी है,

(ब) *विश्वास है* कि परिवार, समाज की नैसर्गिक और मूलभूत समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है, और दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यक सुरक्षा और सहायता मिलती चाहिए ताकि परिवार, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के पूर्ण और समान प्रयोग में योगदान दे सकें,

(भ) विश्वास है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और अभिन्न अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन से विकासशील और विकसित, दोनों देशों में दिव्यांग व्यक्तियों की गहन सामाजिक वंचना का समाधान करने और समान अवसरों के साथ सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान होगा,

निम्नवत सहमति व्यक्त करते हैं:

अनुच्छेद 1
प्रयोजन

इस कन्वेंशन का उद्देश्य सभी दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के पूर्ण और समान उपयोग का संप्रवर्तन, संरक्षण करना एवं उन्हें सुनिश्चित करना और उनकी अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान का संप्रवर्तन करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों, में वे व्यक्ति आते हैं जो ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति हैं जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रूकावट उत्पन्न होती है;

अनुच्छेद 2
परिभाषा

वर्तमान कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए:

"संसूचना" में सुगम्य सूचना और संसूचना प्रौद्यागिकी सहित भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया के साथ-साथ लिखित, श्रव्य, सादा-भाषा, ह्यूमन-रीडर और संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति, संसूचना के साधन और प्रारूप शामिल हैं;

"भाषा" में बोली जाने वाली और संकेत भाषाएं और गैर-बोली जाने वाली भाषाओं के अन्य रूप शामिल हैं;

दिव्यांगता के आधार पर विभेद" से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन या निर्बंधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपयोग या प्रयोग हासिल करने या अकृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त आवासन का प्रत्याख्यान भी हैं;

"युक्तियुक्त आवासन" से दिव्यांगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार के उपयोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में अननुपातिक या असम्यक बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत है;

"सर्वव्यापी डिज़ाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिज़ाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन सेवाएं अभिप्रेत है। "सर्वव्यापी डिज़ाइन" में दिव्यांग व्यक्तियों के विशेष समूहों के लिए सहायक उपकरण अपवर्जित नहीं होंगे जहां यह आवश्यक है।

अनुच्छेद 3
सामान्य सिद्धांत

इस कन्वेंशन के सिद्धांत निम्नवत होंगे:

(क) अपना चयन स्वयं करने की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान;

(ख) गैर विभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन;

(घ) मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति का सम्मान;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) अभिगम्यता;

(छ) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता;

(ज) दिव्यांग बच्चों की विकसित होती क्षमताओं का सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकार का सम्मान ताकि उनकी पहचान परिरक्षित रहे।

अनुच्छेद 4
सामान्य बाध्यताएं

1. पक्षकार राज्य, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद किए बिना सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का पूर्ण प्रापण सुनिश्चित करने और उनका संप्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, पक्षकार राज्य वचन देते हैं:

(क) वर्तमान कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय अपनाना;

(ख) विधायन सहित सभी उपयुक्त उपाय करना, ऐसे मौजूदा कानूनों, विनियमों, परंपराओं और व्यवहारों को संशोधित या समाप्त करना जो दिव्यांग व्यक्तियों के विरूद्ध विभेदपूर्ण है;

(ग) सभी नीतियों और कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखना;

(घ) ऐसे किसी भी कृत्य या व्यवहार से बचना जो वर्तमान कन्वेंशन के असंगत है और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी प्राधिकरण और संस्थान, वर्तमान कन्वेंशन के अनुरूप कार्य करते हैं;

(ङ) किसी भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम द्वारा दिव्यांगता के आधार पर विभेद समाप्त करने के लिए सभी उचित उपाय करना;

(च) वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में यथा परिभाषित सर्वव्यापी रूप से डिजाइन की गई वस्तुओं, सेवाओं, उपकरणों और सुविधाओं का अनुसंधान और विकास करना अथवा उसे प्रोत्साहित करना, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, उनकी उपलब्धता और उपयोग को संप्रवर्तित करने, और मानकों

एवं दिशानिर्देशों के विकास में सर्वव्यापी डिजाइन के संप्रवर्तन के लिए न्यूनतम संभव अनुकूलन और न्यूनतम लागत अपेक्षित हो;

(छ) अनुसंधान और विकास का जिम्मा लेना या उसका संप्रवर्तन करना देना, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता यंत्रों, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकियों सहित नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास करना अथवा उसे बढ़ावा देना और उसकी उपलब्धता बढाना, जिसमें सस्ती प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जाए;

(ज) दिव्यांग व्यक्तियों को नई प्रौद्योगिकीयों के साथ-साथ सहायता, सहायता सेवाओं और सुविधाओं के अन्य रूपों सहित गतिशीलता यंत्रों, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकियों के बारे में सुगम्य जानकारी प्रदान करना शामिल हैं;

(झ) दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्यरत पेशेवरों और कर्मचारियों के वर्तमान कन्वेंशन में स्वीकृत अधिकारों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ताकि वे उन अधिकारों द्वारा गारंटीकृत सहायता और सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान की जा सकें।

2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में, प्रत्येक पक्षकार राज्य, वर्तमान कन्वेंशन में निहित प्रतिबद्धताओं के पूर्वाग्रह के बगैर इन अधिकारों के पूर्ण प्रापण को उत्तरोत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से अपने उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उपाय करने और जहां आवश्यक हो, अंतरराष्ट्रीय सहयोग रूपरेखा के भीतर उपाय करने का वचन देता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तत्काल लागू होते हैं।

3. वर्तमान कन्वेंशन लागू करने के लिए कानून और नीतियों के विकास और कार्यान्वयन में, और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित अन्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में, पक्षकार राज्य अपने प्रतिनिधि संगठन के माध्यम से दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों से निकदीकी तौर पर परामर्श करेंगे और उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करेंगे।

4. वर्तमान कन्वेंशन में कुछ भी किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रापण के लिए अधिक सहायक है और जो उस राज्य के लिए लागू पक्षकार राज्य के कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित हो सकते हैं। किसी भी पक्षकार राज्य पर इस बहाने से कानून, सम्मेलनों, विनियमों या प्रथा के अनुसरण में मान्यता प्राप्त या विद्यमान किसी भी मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता पर इस पर कोई प्रतिबंध या अवमानना नहीं होगी कि इस कन्वेंशन में ऐसे अधिकारों अथवा स्वतंत्रताओं को मान्यता नहीं दी गई है या कि इसमें इन्हें कुछ कम हद तक मान्यता दी गई है।

5. वर्तमान कन्वेंशन के प्रावधान बिना किसी सीमा या अपवाद संघीय राज्यों के सभी भागों में लागू होंगे।

अनुच्छेद 5
समानता और गैर-विभेद

1. पक्षकार राज्यों की यह मान्यता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कानून के तहत हैं और बिना किसी विभेद कानून के समान संरक्षण और समान लाभ के पात्र हैं।
2. पक्षकार राज्य दिव्यांगता के आधार पर सभी भेदभावों का प्रतिषेध करेंगे और दिव्यांग व्यक्तियों को सभी आधारों पर विभेद के खिलाफ समान और प्रभावी कानूनी सुरक्षा की गारंटी देंगे।

3. समानता को बढ़ावा देने और विभेद को समाप्त करने के लिए, पक्षकर राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे कि उचित आवास प्रदान किया जाए।
4. वर्तमान कन्वेंशन की शर्तों के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक समानता में तेजी लाने या प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपायों में विभेद पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 6
दिव्यांग महिलाएं

1. पक्षकार राज्यों की यह मान्यता है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियां से विभिन्न विभेद किए जाते हैं और इस संबंध में उनके द्वारा सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे।

2. पक्षकार राज्य, महिलाओं का पूर्ण विकास, उन्नति और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए इस कन्वेंशन में निर्धारित मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के उनके द्वारा प्रयोग और उपयोग की गारंटी देने के प्रयोजनार्थ सभी समुचित उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 7
दिव्यांग बच्चे

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग बच्चों द्वारा अन्य बच्चों के साथ समान आधार पर सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।
2. दिव्यांग बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, बच्चे का सर्वोत्तम हित प्रमुख विचार होगा।
3. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग बच्चों को उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार मिले, उनके विचारों को उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार, अन्य बच्चों के साथ समान

आधार पर उचित महत्व दिया जाए, और इस अधिकार के प्रापण के लिए उन्हें दिव्यांगता और आयु-उपयुक्त सहायता प्रदान की जाए।

अनुच्छेद 8
जागरूकता फैलाना

1. पक्षकार राज्य तत्काल, प्रभावी और समुचित उपाय अपनाने का वचन देते हैं:

(क) दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में परिवार स्तर सहित पूरे समाज में जागरूकता बढाने और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सम्मान को संपोषित करने के लिए;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग और उम्र के आधार पर रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों और हानिकारक व्यवहारों सहित सभी रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों और हानिकारक व्यवहारों का सामना करने के लिए;

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं और योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए।

2. इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं:

डिज़ाइन किए गए प्रभावी जन जागरूकता अभियान शुरू करना और उनका रखरखाव करना:

(क) परिकल्पित प्रभावी जन जागरूकता अभियान शुरू करना और उन्हें बरकरार रखना:

i. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति ग्रहणशीलता का संपोषण करना;
ii. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक धारणा और अधिक सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना;
iii. दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल, योग्यता और क्षमताओं की पहचान और कार्यस्थल एवं श्रम बाजार में उनके योगदान को बढ़ावा देना;

(ख) कम उम्र के सभी बच्चों सहित शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को संपोषित करना;

(ग) मीडिया के सभी अंगों को दिव्यांग व्यक्तियों को वर्तमान कन्वेंशन के उद्देश्य के अनुरूप तरीके से चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(घ) दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जागरूकता-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 9
सुगम्यता

1. दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करने और जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी करने के लिए सक्षम करने के लिए, पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान आधार पर भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित सूचना एवं संचार तक पहुंच और शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में खुली अथवा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगी। ये उपाय, जिसमें पहुंच के लिए बाधाओं और अवरोधों की पहचान और उनका उन्मूलन करना शामिल होगा, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर लागू होंगे:

   (क) भवन, सड़कें, परिवहन और अन्य इनडोर और बाहरी सुविधाएं, जिनमें स्कूल, आवास, चिकित्सा सुविधाएं और कार्यस्थल शामिल हैं;
   (ख) इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं सहित सूचना, संसूचना और अन्य सेवाएं।

2. पक्षकर राज्य निम्नलिखित उपयुक्त उपाय भी करेंगे:

(क) जनता के लिए खुली या प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच के लिए न्यूनतम मानकों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के विकास, प्रचार और निगरानी करना;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थाएं, जो जनता को खुली और प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती हैं;

(ग) हितधारकों को दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाले पहुंच संबंधी समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना;
(घ) भवनों और जनता के लिए खुली अन्य सुविधाओं में ब्रेल में और आसानी से पढ़ने और समझने आने वाले रूपों में संकेतक उपलब्ध कराना;

(ङ) भवनों और जनता के लिए खुली अन्य सुविधाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए गाइड, पाठक और पेशेवर संकेत भाषा दुभाषियों सहित लाइव सहायता और माध्यस्थ उपलब्ध करना;

(च) दिव्यांग व्यक्तियों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त प्रकार की सहायता और समर्थन का प्रचार-प्रसार करना;

(छ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इंटरनेट सहित नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तक पहुंच को बढ़ावा देना;

(ज) सुगम्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास, उत्पादन और वितरण को प्रारंभिक चरण में बढ़ावा देना, ताकि ये प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां न्यूनतम लागत पर सुगम्य हों।

अनुच्छेद 10
जीवन का अधिकार

पक्षकार राज्य इस बात की पुन: पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अंतर्निहित अधिकार है और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ समान आधार पर इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 11
जोखिम और मानववादी आपदाओं की स्थितियां

पक्षकर राज्य, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं सहित जोखिक की स्थितियों में दिव्यांग व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 12
कानून के समक्ष समान व्यवहार

1. पक्षकार राज्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को हर जगह कानून के समक्ष व्यक्तिय के रूप में मान्यता का अधिकार है।

2. राज्यों के पक्ष यह पहचान करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति की जीवन के सभी पहलुओं में दूसरों के साथ कानूनी हैसियत का समान आधार पर प्राप्त हो।

3. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी कानूनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सहायता तक पहुंच प्रदान करने के लिए उचित उपाय करेंगे।

4. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी क्षमता के प्रयोग से संबंधित सभी उपायों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित और प्रभावी सुरक्षा उपायों का प्रावधान हो। ऐसे सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी क्षमता के प्रयोग से संबंधित उपाय व्यक्ति के अधिकारों, इच्छा और पसंद का सम्मान करते हैं, हितों के टकराव और अनुचित प्रभाव से मुक्त हैं, आनुपातिक हैं और उन्हें व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है, अल्पतम संभव समय के लिए लागू होते हैं और एक सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा इनकी नियमित समीक्षा की जाती है। सुरक्षा उपाय उस हद के समानुपाती होंगे जिस तक ऐसे उपाय व्यक्ति के अधिकारों और हितों को प्रभावित करते हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अध्यधीन, पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के संपत्ति के स्वामित्व या उत्तराधिकार में पाने में समान अधिकार, अपने स्वयं के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय ऋण के अन्य रूप तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त और प्रभावी उपाय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 13
न्याय तक पहुंच

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जांच और अन्य प्रारंभिक चरणों सहित सभी कानूनी कार्यवाहियों में गवाह के रूप में उनकी भूमिका सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में उनकी प्रभावी भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रियागत और आयु-उपयुक्त आवास के प्रावधान के माध्यम से अन्य लोगों के साथ समान आधार पर न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
2. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, पक्षकार राज्य पुलिस और जेल कार्मिकों सहित न्याय प्रशासन के क्षेत्र में कर्यरत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 14
व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा

1. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर:

(क) व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का उपयोग करे;

(ख) गैरकानूनी या मनमाने ढंग से अपनी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए, और स्वतंत्रता से वंचन कानून के अनुरूप है, और यह कि दिव्यांगता होने से किसी भी मामले में स्वतंत्रता से वंचित रखना औचित्यपूर्ण नहीं होगा।

2. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार अन्य लोगों के साथ समान आधार पर इनकी गारंटी के पात्र हैं और उनके साथ युक्तियुक्त आवासन के प्रावधान सहित वर्तमान कनवेंशन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुपालन में व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद 15
यातना अथवा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड से मुक्ति

1. किसी के साथ ही यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे इंड नहीं दिया जाएगा। विशेष रूप से, किसी पर भी उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जाएगा।
2. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंडित किए जाने से रोकने के लिए सभी प्रभावी विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 16
शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्ति

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को घर में और घर से बाहर, दोनों जगह उनके यौन-आधारित पहलुओं सहित सभी प्रकार के शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक या अन्य उपाय करेंगे।
2. पक्षकार राज्य, इस संबंध में सूचना और शिक्षा की प्रावधान के माध्यम से उपाय सहित कि शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं से बचाव, इनकी पहचान और रिपोर्ट किस प्रकार की जाए, अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों एवं देखभाल करने वालों के लिए यौन और आयु-संवेदनशील सहायता के उपयुक्त रूप को सुनिश्चित करके सभी प्रकार के शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे। पक्षकार राज्य, यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा सेवाएं आयु-, लिंग- और दिव्यांगता -संवेदी हैं।

3. सभी प्रकार के शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार की घटना को रोकने के लिए, पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्मित सभी सुविधाओं और कार्यक्रमों की स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी की जाती है।
4. पक्षकार राज्य किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या दुर्व्यवहार के शिकार दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान सहित शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे। यह सुधार और पुन: एकीकरण ऐसे वातावरण में किया जाएगा जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य, कल्याण, आत्म-सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता का संपोषण हो और लिंग और आयु-विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
5. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला और बाल-केंद्रित कानूनों और नीतियों सहित प्रभावी कानून और नीतियां बनाएंगे जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार के मामलों की पहचान हो, उनकी जांच की जाए और जहां उपयुक्त हो, मुकदमा चलाया जाए।

अनुच्छेद 17
व्यक्ति की निष्ठता का संरक्षण

प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को दूसरों के साथ समान आधार पर अपनी शारीरिक और मानसिक निष्ठता के सम्मान करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 18
घूमने और राष्ट्रीयता की आजादी

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के आवाजाही की स्वतंत्रता, अपना निवास चयन करने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के अधिकारों को दूसरों के साथ समान आधार पर मान्यता देंगी, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि दिव्यांग व्यक्ति:

(क) को राष्ट्रीयता लेने और उसे बदलने का अधिकार है और वह मनमाने ढंग से या दिव्यांगता के आधार पर अपनी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं हैं;

(ख) दिव्यांगता के आधार पर अपनी राष्ट्रीयता या पहचान के अन्य दस्तावेज प्राप्त करने, अपने पास रखने और उनका उपयोग करने अथवा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जैसेकि आप्रवासन कार्यवाही का उपयोग करने से वंचित नहीं है जो अधिकार के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(ग) अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं;

(घ) मनमाने ढंग से या दिव्यांगता के आधार पर अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार से वंचित नहीं हैं।

2. दिव्यांग बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें जन्म से ही नाम रखने, राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार और जहां तक संभव हो, अपने माता-पिता के बारे में जानने और उनके द्वारा देखभाल करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 19
अकेले जीवनयापन करना और समुदाय में शामिल होना

वर्तमान कन्वेंशन के पक्षकार राज्य सभी दिव्यांग व्यक्तियों के समुदाय में रहने के समान अधिकार को अन्य व्यक्ति के समान विकल्पों के साथ मान्यता प्रदान करते हैं, और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के पूर्ण उपयोग को सहज बनाने और समुदाय में अपने पूर्ण समावेशन एवं भागीदारी के लिए प्रभावी और उचित उपाय करेंगे जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है:

(क) दिव्यांग व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अपना निवास स्थान चुनने, कहां और किसके साथ रहना है, की स्वतंत्रता है और वे किसी विशेष जीवनयापन व्यवस्था में रहने के बाध्य नहीं हैं;
(ख) दिव्यांग व्यक्ति की समुदाय में जीवनयापन और समावेशन के लिए और एकाकीकरण अथवा पृथकता को रोकने के लिए आवश्यक निजी सहायता सहित बहुत-सी गृह, रिहायशी और अन्य समुदाय सहायता सेवाओं तक पहुंच है;
(ग) दिव्यांग व्यक्ति को समान आधार पर सामान्य आबादी के लिए समुदाय सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

अनुच्छेद 20
व्यक्तिगत गतिशीलता

पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम संभव स्वतंत्रता देते हुए व्यक्तिगत गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेंगी, जिनमें निम्न शामिल हैं:

(क) दिव्यांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिशीलता को उनकी पसंद के तरीके और समय पर और कम मूल्य पर सहज बनाना;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण गतिशीलता सहायता यंत्र, उपकरणों, सहायक प्रौद्योगिकियों और उन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध करके लाइव सहायता और मध्यस्थों के रूपों (फॉर्म) तक पहुंच की सुविधा प्रदान;

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ कर्मचारियों को गतिशीलता कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(घ) गतिशीलता सहायक यंत्रों, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने वाली संस्थाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गतिशीलता के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना।

अनुच्छेद 21
अभिव्यक्ति और अभिमत और सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता

पक्षकार राज्य निम्नलिखित को शामिल कर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर और इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में यथा: परिभाषित संचार के अपनी पसंद के सभी रूपों के माध्यम से सूचना और विचार मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता सहित अभिव्यक्ति और अभिमत की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सकें:

(क) आम जनता के लिए सूचना दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के लिए सुगम्य प्रारूपों में और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में समयबद्ध तरीके से और अतिरिक्त लागत के बिना प्रदान करना;

(ख) आधिकारिक इंटरऐक्शन (अंतक्रिया) में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सांकेतिक भाषाओं, ब्रेल, संवर्धित और वैकल्पिक संचार, और अन्य सभी सुगम्य साधनों, तरीकों और उनकी पसंद के संचार के प्रारूपों के उपयोग को स्वीकार करना और उसे सुविधाजनक बनाना;

(ग) आम जनता को इंटरनेट सहित सेवाएं प्रदान करने वाली निजी संस्थाओं से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सूचना और सेवाएं, सुगम्य और प्रयोग करने योग्य प्रारूपों में प्रदान करने का आग्रह करना;

(घ) इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रदाताओं सहित जनसंचार माध्यमों को उनकी सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना;

(ङ) सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को मान्यता प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 22
निजता का सम्मान

1. कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, चाहे उसका निवास स्थान या जीवनयापन व्यवस्था कुछ भी हो, अपनी, परिवार, घर या पत्राचार या अन्य प्रकार के संचार में मनमाने अथवा गैरकानूनी हस्तक्षेप या अपने सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमलों के अध्यधीन नहीं होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे हस्तक्षेप या आक्रमण के विरूद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार है।
2. पक्षकार राज्य दूसरों के साथ समान आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत, स्वास्थ्य और पुनर्वास सूचना की गोपनीयता की रक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 23
घर और परिवार के लिए सम्मान

1. पक्षकार राज्य अन्य लोगों के साथ समान आधार पर विवाह, परिवार, पितृत्व और रिश्तों से संबंधित सभी मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों से विभेद को समाप्त करने के लिए प्रभावी और समुचित उपाय करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके:

(क) विवाह योग्य आयु के सभी दिव्यांगों के विवाह करने और आशायित पति/पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के आधार पर परिवार बनाने के अधिकार को मान्यता दी गई है;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के अपने बच्चों की संख्या और उनके जन्म के समयांतर के संबंध में स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से निर्णय लेने और आयु-उपयुक्त जानकारी, प्रजनन और परिवार नियोजन शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के अधिकारों को मान्यता दी गई है, और इन अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक साधन प्रदान किए जाते हैं;

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों में, बच्चों सहित, अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर अपनी प्रजनन क्षमता होती है।

2. पक्षकार राज्य संरक्षकर्ता, वार्डशिप, ट्रस्टीशिप, बच्चों को गोद लेने या इसी तरह के संस्थानों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेंगे, जहां राष्ट्रीय कानून में ये अवधारणाएं विद्यमान हैं; सभी मामलों में बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होगा। पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को अपने बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारियों के निर्वहन में समुचित सहायता प्रदान करेंगे।

3. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक जीवन के संबंध में समान अधिकार प्राप्त हैं। दिव्यांग बच्चों के इन अधिकारों को साकार करने के लिए, और छिपाने, परित्याग करने, उपेक्षा और पृथक रखने की रोकथाम करने के लिए, पक्षकार राज्य दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को प्रारंभिक और व्यापक सूचना, सेवाएं और सहायता प्रदान करने का दायित्व निर्वहन करेंगे।

4. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बच्चे को उसके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उनसे अलग नहीं किया जाएगा, सिवाय जब न्यायिक समीक्षा के अधीन सक्षम प्राधिकारी, लागू कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार यह निर्धारित न करें कि बच्चे के सर्वोत्तम हितों के लिए ऐसा अलगाव आवश्यक है। किसी भी मामले में बच्चे या माता-पिता में से एक या दोनों की दिव्यांगता के आधार पर बच्चे को माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा।
5. पक्षकार राज्य, जहां तत्काल परिवार दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है, बहुत बडे परिवार के भीतर वैकल्पिक देखभाल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और ऐसा करने में विफल रहने पर, पारिवार परिवेश में समुदाय के भीतर देखभाल प्रदान करने के दायित्व का निर्वहन करेगा।

अनुच्छेद 24
शिक्षा

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं। पक्षकार राज्य इस अधिकार को बिना किसी विभेद और समान अवसर के आधार पर लागू करने की दृष्टि से, सभी स्तरों पर एक समावेशी शिक्षा प्रणाली और निम्न की ओर निर्देशित जीवनपर्यन्त अधिगम सुनिश्चित करेंगे:

(क) मानव क्षमता और गरिमा और आत्म-सम्मान की भावना का पूर्ण विकास, और मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रता और मानव विविधता के लिए सम्मान को मजबूत करना;
(ख) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व, प्रतिभा और रचनात्मकता के साथ-साथ अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का उनकी पूर्ण क्षमता तक विकास;
(ग) दिव्यांग व्यक्तियों को मुक्त समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना।

2. इस अधिकार को लागू करने के लिए, पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(क) दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता के आधार पर सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं रखा जाता है, और दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता के आधार पर नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, या माध्यमिक शिक्षा से बाहर नहीं रखा जाता है;
(ख) दिव्यांग व्यक्ति, उस समुदाय में, जिसमें वे रहते हैं, अन्य लोगों के साथ समान आधार पर समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं;
(ग) व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए युक्तियुक्त आवासन प्रदान किया जाता है;
(घ) दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी प्रभावी शिक्षा में सहायता के लिए सामान्य शिक्षा प्रणाली के भीतर आवश्यक सहायता प्राप्त होती है;

(ङ) ऐसे परिवेश में प्रभावी वैयक्तिक सहायता उपाय प्रदान किए जाते हैं जिससे पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप, अधिकतम शैक्षणिक और सामाजिक विकास हो।

3. पक्षकार राज्य शिक्षा में और समुदाय के सदस्यों के रूप में अपनी पूर्ण और समान भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जीवन और सामाजिक विकास कौशल सीखने में समर्थ बनाएंगे। पक्षकार राज्य, इसके लिए, समुचित उपाय करेंगे, जिनमें शामिल हैं:

(क) ब्रेल, वैकल्पिक लिपि, संवर्धित, और अनुकल्पी पद्धति , संचार और अभिविन्यास और गतिशीलता कौशल के साधन और प्रारूप अधिगम को सुगम बनाना और साथियों की सहायता और मेंटरिग को सुविधाजनक बनाना;

(ख) संकेत भाषा के शिक्षण को सुविधाजनक बनाना और बधिर समुदाय की भाषायी पहचान को बढ़ावा देना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों, और विशेष रूप से द्रष्टिबाधित, बहरे या बहरे व द्रष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा, व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त भाषाओं और संसूचना पद्धतियां और साधनों और ऐसे वातावरण में प्रदान की जाती है, जिससे अधिकतम शैक्षणिक और सामाजिक विकास होता है।

4. इस अधिकार का प्रापण सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, पक्षकार राज्य दिव्यांग शिक्षकों सहित, जो संकेत भाषा और/या ब्रेल में अर्हताप्राप्त हैं, शिक्षकों की नियुक्त करने और ऐसे व्यावसायिकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के समुचित उपाय करेंगे, जो शिक्षा के सभी स्तरों पर काम करते हैं। इस प्रशिक्षण में दिव्यांग व्यक्तियों की जागरूकता और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए उपयुक्त संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों, संसूचना के साधनों और प्रारूपों, शैक्षिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग समाविष्ट होगा।

5. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी विभेद और दूसरों के साथ समान आधार पर सामान्य तृतीयक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षा और आजीवन शिक्षण में सक्षम हैं। इसके लिए, पक्षकार राज्य पार्टियां यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को समुचित आवास प्रदान किया जाए।

अनुच्छेद 25
स्वास्थ्य

पक्षकार राज्य मान्यता देते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का लाभ लेने का अधिकार है। पक्षकार दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी पुनर्वास

सहित यौन –संवेदी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे। विशेष रूप से, पक्षकार राज्य:

(क) दिव्यांग व्यक्तियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और जनसंख्या आधारित जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में सेवाओं सहित नि:शुल्क या वहनीय स्वास्थ्य देखभाल और कार्यक्रम समान श्रेणी, गुणवत्ता और मानक वाली प्रदान करता है जो अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जाती है;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से उनकी अक्षमताओं के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है जिसमें उचित रूप में शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप और बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों में दिव्यांगता को न्यूनतम करने और इसकी आगे रोकथाम के लिए बनाई गई सेवाएं शामिल हैं;

(ग) ये स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोगों के अपने समुदायों के यथासंभव निकट स्थल पर प्रदान करता है;

(घ) उसे दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य लोगों की तरह समान गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य व्यावसायिकों की आवश्यकता होती है जिसमें नि:शुल्क और विवेकपूर्ण सहमति के आधार पर देखभाल, अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षण और नैतिक मानकों की प्रख्यापन के जरिये दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों, गरिमा, स्वायत्तता और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है;

(ङ) दिव्यांग व्यक्तियों से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रावधान में विभेद का निषिद्ध करना जहां राष्ट्रीय कानून द्वारा ऐसे बीमा की अनुमति है, जो निष्पक्ष और उपयुक्त विधि से प्रदान की जाएगी;

(च) दिव्यांगता के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल या स्वास्थ्य सेवाओं या भोजन और तरल पदार्थों के विभेदपूर्ण प्रत्याख्यान की रोकथाम करना।

अनुच्छेद 26
हैबिलिटेशन और पुनर्वास

1. पक्षकार राज्य, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता और जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण समावेश और भागीदारी प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए सहकर्मी सहायता सहित प्रभावी और समुचित उपाय करेंगे। उस उद्देश्य के लिए, पक्षकार राज्य हैबिलिटेशन[20] और पुनर्वास सेवाओं और कार्यक्रमों का इस प्रकार आयोजन, सुदृढ़ीकरण और विस्तार करेंगे, विशेष रूप से स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में, जिससे ये सेवाएं और कार्यक्रम:

   (क) यथासंभव शुरूआती चरण में शुरू हों, और व्यक्तिगत जरूरतों और प्रबल पक्ष के बहु-विषयक मूल्यांकन पर आधारित हो;

(ख) समुदाय और समाज के सभी पहलुओं में भागीदारी और समावेश में सहायक हों, और समाज के सभी पहलू स्वैच्छिक हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित, अपने स्वयं के समुदायों के यथासंभव नजदीक स्थल पर उपलब्ध हों।

2. पक्षकार राज्य हैबिलिटेशन और पुनर्वास सेवाओं में कार्यरत व्यावसायिकों और कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक और सतत प्रशिक्षण के विकास को बढ़ावा देंगे।
3. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता, ज्ञान और उपयोग को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इनका संबंध हैबिलिटेशन आवास और पुनर्वास से है।

अनुच्छेद 27
काम और रोजगार

1. पक्षकार राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के अन्य लोगों के साथ समान आधार पर काम करने के अधिकार को मान्यता देते हैं; इसमें श्रम बाजार और ऐसे कार्य परिवेश में स्वतंत्र रूप से चयनित या स्वीकृत काम से आजीविका प्राप्त करने के अवसर का अधिकार शामिल है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खुला, समावेशी और सुगम्य है। पक्षकार राज्य, विधायन के माध्यम से उपायों सहित उपयुक्त उपाय कर, रोजगार के दौरान दिव्यांग हुए व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों के काम के अधिकार का संरक्षण करेगा और उसके प्रापण का संप्रवर्धन करेगा जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ:

(क) रोजगार के सभी रूपों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में भर्ती की शर्तों, हायरिंग और नियोजन, नियोजन का जारी रखना, करियर में प्रोन्नति और काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियों सहित दिव्यांगता के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना;

(ख) समान मूल्य के काम के लिए समान अवसर और समान पारिश्रमिक सहित न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियों, उत्पीड़न से सुरक्षा और शिकायतों के निवारण सहित काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियों के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना;

(ग) सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान आधार पर अपने श्रम और ट्रेड यूनियन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं;

(घ) दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों, प्लेसमेंट सेवाओं और व्यावसायिक और सतत प्रशिक्षण तक प्रभावी पहुंच के लिए सक्षम बनाना;

(ङ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों और कैरियर प्रोन्नति को बढ़ावा देना और रोजगार खोजने, प्राप्त करने, बनाए रखने और रोजगार में वापस लौटने में सहायता करना;

(च) स्वरोजगार, उद्यमिता, सहकारी समितियों के विकास और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के अवसरों को बढ़ावा देना;

(छ) दिव्यांग व्यक्तियों को पब्लिक क्षेत्र में रोजगार देना;

(ज) उपयुक्त नीतियों और उपायों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार का संप्रवर्तन करना, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम, प्रोत्साहन और अन्य उपाय हो सकते हैं;

(झ) सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यस्थल में उचित आवास प्रदान किया जाता है;

(ञ) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खुले श्रम बाजार में कार्य अनुभव प्राप्त करने को बढ़ावा देना;

(ट) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक पुनर्वास, नौकरी प्रतिधारण और काम पर लौटने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

2. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को गुलामी या दासता में न रखा जाए है, और दूसरों के साथ समान आधार पर, जबरन या अनिवार्य श्रम से संरक्षित किया जाता है।

अनुच्छेद 28
जीवनयापन और सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त मानक

1. पक्षकार राज्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित जीवन के पर्याप्त मानक और जीवन की स्थितियों में निरंतर सुधार करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं और दिव्यांगता के आधार पर विभेद किए बगैर इस अधिकार के प्रापण की सुरक्षा एवं संप्रवर्तन के लिए समुचित उपाय करेंगे।

2. पक्षकार राज्य, दिव्यांगजनों के दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बगैर सामाजिक सुरक्षा और इसके उपयोग के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं, और इस अधिकार के प्रापण के संरक्षण और संप्रवर्तन के लिए उचित समुचित उपाय करेंगे:

(क) दिव्यांगजनों द्वारा स्वच्छ जल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और दिव्यांगता से संबंधित आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और वहनयोग्य सेवाओं, उपकरणों और अन्य सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ख) दिव्यांगजनों, विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ग) दरिद्रता में जीवनयापन करनेवाले दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को पर्याप्त प्रशिक्षण, परामर्श, वित्तीय सहायता और रेस्पाइट देखभाल सहित दिव्यांगता से संबंधित व्यय की राज्य से प्राप्ति सुनिश्चित करना;

(घ) दिव्यांगजनों द्वारा सरकारी आवास कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ङ) दिव्यांगजनों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों और कार्यक्रमों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

अनुच्छेद 29
राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी

पक्षकार राज्य दिव्यांगजनों को दूसरों के साथ समान आधार पर राजनीतिक अधिकारों और उनके उपयोग के अवसर की गारंटी देंगे और वचन देंगे:

(क) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजन, दूसरों के साथ समान आधार पर, प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रभावी रूप से और पूरी तरह से भाग ले सकें जिसमें निम्न द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, दिव्यांगजनों को मतदान करने और चुने जाने का अधिकार और अवसर शामिल है:

i) यह सुनिश्चित करके कि मतदान प्रक्रिया, सुविधाएं और सामग्री उपयुक्त, सुगम्य और समझने में आसान और उपयोग में सरल हो;

ii) दिव्यांगजनों के चुनाव और जनमत संग्रह में बिना डर के गुप्त मतदान द्वारा मतदान करने और चुनावों के लिए खड़े होने, सरकार के सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से पद धारण करना और सभी सार्वजनिक कार्यों का निष्पादन करने, सहायक और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुगम बनाने, जहां उपयुक्त हो, के अधिकार की सुरक्षा करके;

iii) दिव्यांगजनों की निर्वाचक के रूप में इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी देकर और इसके लिए, जहां आवश्यक हो, उनके अनुरोध पर, उनकी पसंद के व्यक्ति द्वारा मतदान में सहायता की अनुमति देकर;

(ख) ऐसे परिवेश को सक्रिय रूप से एक बढ़ावा देना जिसमें दिव्यांगजन बिना किसी विभेद और दूसरों के साथ समान आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में प्रभावी रूप से और पूरी तरह से भाग ले सकें, और सार्वजनिक मामलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जिसमें शामिल हैं:

i) देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों और संघों में और राजनीतिक दलों की गतिविधियों और प्रशासन में भागीदारी करना;

ii) अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिव्यांगजन संगठन बनाना और उनसे जुड़ना।

अनुच्छेद 30

सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद और खेल में भागीदारी

1. पक्षकार राज्य दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक जीवन में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे कि दिव्यांगजन:

(क) सुगम्य प्रारूपों में सांस्कृतिक सामग्री तक पहुंच का उपयोग करें;

(ख) टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों, थिएटर और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों तक सुगम्य प्रारूपों में पहुंच का उपयोग करें;

(ग) सांस्कृतिक प्रदर्शन या सेवाओं जैसेकि थिएटर, संग्रहालयों, सिनेमा, पुस्तकालयों और पर्यटन सेवाओं के लिए स्थानों तक पहुंच का उपयोग करे और जहां तक संभव हो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों और स्थलों तक पहुंच का उपयोग करे।

2. पक्षकार राज्य दिव्यांगजनों को न केवल अपने लाभ के लिए, बल्कि समाज के संवर्धन के लिए अपनी रचनात्मक, कलात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित करने और उनका उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे।

3. पक्षकार राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने वाले कानूनों से दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक सामग्री तक पहुंच में अनुचित या विभेदपूर्ण बाधा न आए।

4. दिव्यांगजन दूसरों के साथ समान आधार पर संकेत भाषा और बधिर संस्कृति सहित अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषायी पहचान की अभिस्वीकृति और सहायता के पात्र होंगे।

5. पक्षकार राज्य, दिव्यांगजनों को मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियों में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने के लिए सक्षम करने की दृष्टि से उपयुक्त उपाय करेंगे:

(क) दिव्यांगजनों की भागीदारी को मुख्यधारा की खेल गतिविधियों में सभी स्तरों पर यथासंभव अधिकतम प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों को दिव्यांगता-विशिष्ट खेल और मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन, विकास और उनमें भाग लेने का अवसर मिले और इसके लिए, दूसरों के साथ समान आधार पर उपयुक्त निर्देशन, प्रशिक्षण और संसाधनों के प्रावधान को प्रोत्साहित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों की खेल, मनोरंजन और पर्यटन स्थलों तक पहुंच हो;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल प्रणाली में गतिविधियों सहित खेल, मनोरंजन और अवकाश और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अन्य बच्चों के साथ समान पहुंच हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों की मनोरंजन, पर्यटन, अवकाश और खेल गतिविधियों के संगठन में शामिल लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक पहुंच हो।

अनुच्छेद 31
सांख्यिकी और डाटा संकलन

1. पक्षकार राज्य सांख्यिकीय और अनुसंधान डाटा सहित उपयुक्त सूचना संकलन करने का वचन देते हैं, ताकि वे वर्तमान कन्वेंशन को लागू करने के लिए नीति-निर्माण कर कार्यान्वित कर सकें। सूचना संकलन और अनुरक्षण की इस प्रक्रिया में:

(क) दिव्यांगजनों की निजता की गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए डाटा संरक्षण संबंधी विधान सहित कानूनी रूप से बनाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाएगा;

(ख) आंकड़ों के संकलन और उपयोग में मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता और नैतिक सिद्धांतों का संरक्षण करनेवाले अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के अनुसार एकत्र की गई सूचना को यथोपयुक्त विसंकलित किया और इस कन्वेंशन के तहत पक्षकार राज्यों की बाध्यताओं के कार्यान्वयन का आकलन करने और दिव्यांगजनों के सामने उनके अधिकारों के प्रयोग में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने में सहायता करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. पक्षकार राज्य, इन आंकड़ों के प्रसार और दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व लेंगे।

अनुच्छेद 32
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. पक्षकार राज्य, वर्तमान कन्वेंशन के प्रयोजन और उद्देश्यों के प्रापण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन में इसकी प्रोन्नति के महत्व को अभिस्वीकृत करते हैं, और इस संबंध में राज्यों के बीच और जैसा उपयुक्त हो, संबंधित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और सिविल सोसायटियों के साथ, विशेष रूप से दिव्यांगजन संगठनों की साझेदारी में, उपयुक्त व प्रभावी उपाय करेंगे। इन उपायों में अन्य बातों के साथ शामिल हैं:

(क) यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी और सुगम्य है;

(ख) क्षमता निर्माण को सहज बनाना और उसमें सहायता देना जिसमें जानकारी, अनुभव, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सर्वोत्तम व्यवहारों के आदान-प्रदान और उन्हें साझा करके क्षमता निर्माण भी शामिल है;

(ग) वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान में अनुसंधान और उसकी पहुंच में सहयोग को सुगम बनाना;

(घ) सुगम्य और सहायक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और उन्हें साझा करने को सुविधाजनक बनाकर और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से सहायता सहित यथोपयुक्त तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

2. इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रत्येक पक्षकार राज्य की वर्तमान कन्वेंशन के तहत इसकी बाध्यताओं को पूरा करने के पूर्वाग्रह के बगैर हैं।

अनुच्छेद 33
राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी

1. पक्षकार राज्य, संगठन की अपनी प्रणाली के अनुसार, वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए सरकार के भीतर एक या एक से अधिक फोकस बिंदु अभिहित करेंगे, और विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई सहज बनाने के लिए सरकार के भीतर एक समन्वय तंत्र की स्थापना या पदाभिधान पर समुचित विचार करेंगी।
2. पक्षकार राज्य, अपनी विधि और प्रशासनिक प्रणालियों के अनुसार, पक्षकार राज्य के भीतर एक या अधिक स्वतंत्र तंत्र सहित एक ढांचा अनुरक्षित, सुदृढ, पदाभिधानित करेंगे जैसाकि वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन, संरक्षण और निगरानी करने के लिए उपयुक्त हो। ऐसा तंत्र पदाभिधानित या स्थापित करते समय, पक्षकार राज्य, मानवाधिकारों के संरक्षण और संप्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति और कार्यकरण संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे।
3. सिविल सोसायटी, विशेष रूप से दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और वे इसमें पूर्ण भागीदारी करेंगे।

अनुच्छेद 34
दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित समिति

1. दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित एक समिति (इसके बाद "समिति" कहा गया है) स्थापित की जाएगी, जो यहां इसके बाद प्रदान किए गए प्रकार्यों का निष्पादन करेगी।
2. समिति में वर्तमान कन्वेंशन लागू किए जाने के समय, बारह विशेषज्ञ होंगे। कन्वेंशन के अतिरिक्त साठ अनुसमर्थनों या इसे अंगीकार किए जाने के बाद, समिति की सदस्यता में छह सदस्यों की वृद्धि होगी, जिससे सदस्यों की अधिकतम संख्या अठारह हो गई है।
3. समिति के सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कार्य करेंगे और उच्च नैतिक प्रतिष्ठा होंगे और वर्तमान कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अर्हता और अनुभव होंगे। पक्षकार राज्य से आग्रह किया जाता है कि अपने उम्मीदवारों को नामित करते समय वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 4, पैराग्राफ 3 में निर्धारित प्रावधान पर उचित विचार करें।

4. समिति के सदस्य पक्षकार राज्यों द्वारा चुने जाएंगे, समान भौगोलिक वितरण, विभिन्न सभ्यताओं

और प्रमुख कानूनी प्रणालियों के प्रतिनिधित्व, संतुलित लिंग प्रतिनिधित्व और दिव्यांग विशेषज्ञों की भागीदारी पर विचार किया जाता है।

5. समिति के सदस्यों का चयन, पक्षकार राज्यों द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टिज की बैठकों में उनके राष्ट्रिकों में से नामित व्यक्तियों की सूची से गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। उन बैठकों में, जिनके लिए दो-तिहाई पक्षकार राज्यों से कोरम पूरा होगा, समिति में वे व्यक्ति चयनित होंगे जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं और उपस्थित एवं मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त मिला है।

6. प्रारंभिक चुनाव, वर्तमान कन्वेंशन के लागू किए जाने की तारीख से छ माह से अनधिक अवधि में होगा। प्रत्येक चुनाव की तारीख से कम से कम चार माह पूर्व, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, पक्षकार राज्यों को दो माह के भीतर नामांकन देने का आमंत्रण देते हुए एक पत्र संबोधित करेंगे। महासचिव, इसके बाद, पक्षकार राज्यों का उल्लेख करते हुए, जिसने उनका नामांकन किया है, इस प्रकार नामांकित सभी व्यक्तियों की वर्णानुक्रम में एक सूची तैयार करेगा और इसे वर्तमान सम्मेलन कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेंगे।

7. समिति के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। वे पुन: निर्वाचन के लिए एक बार पात्र होंगे। तथापि, पहले चुनाव में चयनित छह सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा; पहले चुनाव के तुरंत बाद, इन छह सदस्यों के नामों का चयन, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 में उल्लेखित बैठक के अध्यक्ष द्वारा लॉट द्वारा किया जाएगा।

8. समिति के छह अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव इस अनुच्छेद के संबंधित प्रावधानों के अनुसार नियमित चुनाव के अवसर पर किया जाएगा।

9. यदि समिति के किसी सदस्य की मृत्यू हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता/देती है या घोषणा करता/करती है कि किसी अन्य कारण से वह अब अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता/सकती है, तो पक्षकार राज्य, जिसने सदस्य को नामांकित किया है, एक अन्य विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा जिसके पास इस अनुच्छेद के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित अर्हताएं हों और शेष अवधि के लिए कार्य करने हेतु अपेक्षाएं पूरी करता/करती हो।

10. समिति प्रक्रिया के अपने नियम स्थापित करेगी।

11. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, वर्तमान कन्वेंशन के तहत समिति के कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक कार्मिक और सुविधाएं प्रदान करेंगे, और इसकी प्रारंभिक बैठक आयोजित करेंगे।

12. वर्तमान कन्वेंशन के तहत स्थापित समिति के सदस्यों को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुमोदन से, को समिति के उत्तरदायित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उन नियमों और शर्तों पर, जैसाकि

सभा तय निर्धारित करे, संयुक्त राष्ट्र के संसाधनों से परिलब्धियां प्राप्त होंगी।

13. समिति के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के लिए मिशन पर विशेषज्ञों की सुविधाओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के पात्र होंगे, जैसाकि कनवेंशन ऑन दी प्रीवलेस एण्ड इम्युनिटिज ऑफ यूनाईटेड नेशन्स की संबंधित धाराओं में निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 35
पक्षकार राज्यों द्वारा रिपोर्टें

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य, वर्तमान कन्वेंशन के लागू किए जाने के बाद दो वर्षों के भीतर संबंधित पक्षकार राज्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से, समिति को वर्तमान कन्वेंशन के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपायों और इस संबंध में प्राप्त प्रगति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा।
2. तत्पश्चात्, पक्षकार राज्य, इसके बाद की रिपोर्टें कम से कम प्रत्येक चार वर्षों में अथवा इससे आगे तब प्रस्तुत करेगा जब समिति ऐसा करने का अनुरोध करे।
3. रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर लागू किसी भी दिशा-निर्देश का निर्णय, समिति करेगी।
4. पक्षकार राज्य को, जिसने समिति को एक विस्तृत प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अपनी अनुवर्ती रिपोर्टों में, पहले प्रदत्त जानकारी को दोहराना आवश्यकता नहीं है। समिति को रिपोर्ट तैयार करते समय, पक्षकार राज्यों को एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया में ऐसा करने पर विचार करने और वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 4, पैराग्राफ 3 में निर्धारित प्रावधान पर समुचित विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
5. रिपोर्टों में वर्तमान कन्वेंशन के तहत बाध्यताओं को पूरा करने की सीमा को प्रभावित करने वाले कारकों और कठिनाइयों का उल्लेख किया जा सकता है।

अनुच्छेद 36
रिपोर्टों पर विचार

1. समिति द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, जो रिपोर्ट पर ऐसे सुझाव और सामान्य सिफारिशें करेगी जो वह उचित समझे और इन्हें संबंधित पक्षकार राज्य को अग्रेषित करेगी। पक्षकार राज्य, समिति को अपनी पसंद की जानकारी के साथ प्रतिक्रिया दे सकता है। समिति, पक्षकार राज्यों से वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन से संबंधित अधिक जानकारी का अनुरोध कर सकती है।

2. यदि किसी पक्षकार राज्य को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हो गया है, समिति अपने पास उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पक्षकार राज्य को उस पक्षकार राज्य में

वर्तमान सम्मेलन के कार्यान्वयन की जांच करने की आवश्यकता के बारे में अधिसूचित कर सकती है, यदि अधिसूचना के बाद तीन माह के भीतर संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है। समिति, ऐसी जांच में भाग लेने के लिए संबंधित पक्षकार राज्य को आमंत्रित करेगी। यदि पक्षकार राज्य जवाब में संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान लागू होंगे।

3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सभी पक्षकार राज्यों को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

4. पक्षकार राज्य, अपने-अपने देशों में जनता को व्यापक रूप से अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे और इन रिपोर्टों से संबंधित सुझावों और सामान्य सिफारिशों तक पहुंच सुगम बनाएंगे।

5. समिति, समिति की समुक्तियों और सिफारिशों सहित उसमें निहित तकनीकी सलाह या सहायता की आवश्यकता के अनुरोध या उल्लेखों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए पक्षकार राज्यों से रिपोर्टों को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों और अन्य सक्षम निकायों को, जैसा वह उचित समझे, को पारेषित कर सकती है।

अनुच्छेद 37
पक्षकार राज्यों और समिति के बीच सहयोग

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य समिति के साथ सहयोग करेगी और अपना अधिदेश पूरा करने में अपने सदस्यों को सहायता करेगी।
2. पक्षकार राज्यों के साथ अपने संबंधों में, वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए समिति अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने के अर्थोपायों पर समुचित विचार करेगी।

अनुच्छेद 38
समिति का अन्य निकायों के साथ संबंध

वर्तमान कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को संपोषित करने और वर्तमान कन्वेंशन में शामिल किए गए क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए:

(क) विशिष्ट एजेंसियां और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग, वर्तमान कन्वेंशन के उन प्रावधानों के कार्यान्वयन के विचार पर प्रतिनिधित्व करने के पात्र होंगे जो उनके अधिदेश के दायरे के अंतर्गत आते हैं। समिति अपने संबंधित अधिदेश के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में विशेषज्ञ परामर्श देने के लिए विशिष्ट एजेंसियों और अन्य सक्षम निकायों को, जैसा यह उपयुक्त समझ सकती है, आमंत्रित कर सकती है। समिति विशेष एजेंसियों और अन्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों को उनकी गतिविधियों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है;

(ख) समिति, जैसा कि यह अपने अधिदेश का निर्वहन करती है, अपने संबंधित रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों, सुझावों और सामान्य सिफारिशों की संगतता सुनिश्चित करने और अपने प्रकार्यों के निर्वहन दोहराव और अतिव्यापन से बचने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा संस्थित अन्य प्रासंगिक निकायों से, यथोपयुक्त, परामर्श करेगी।

अनुच्छेद 39
समिति की रिपोर्ट

समिति प्रत्येक दो वर्ष में महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपनी गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट करेगी, और पक्षकार राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और सूचना की जांच के आधार पर सुझाव और सामान्य सिफारिशें कर सकती है। इन सुझावों और सामान्य सिफारिशों को पक्षकार राज्यों की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ समिति की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 40
पक्षकार **राज्य सम्मेलन**

1. पक्षकार राज्य वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन संबंधी किसी भी मामले पर विचार करने के लिए पक्षकार राज्य सम्मेलन में नियमित रूप से बैठक करेंगे।
2. वर्तमान कन्वेंशन के लागू किए जाने से छह माह से अनधिक अवधि में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा पक्षकार राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बाद की बैठकें महासचिव द्वारा द्विवार्षिक रूप से या पक्षकार राज्य सम्मेलन का निर्णय किया जाने पर आयोजित की जाएंगी।

अनुच्छेद 41
निक्षेपागार (डिपॉजिटरी)

वर्तमान कन्वेंशन के डिपॉजिटरी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होंगे।

अनुच्छेद 42
हस्ताक्षर

वर्तमान कन्वेंशन 30 मार्च 2007 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सभी राज्यों और क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला होगा।

अनुच्छेद 43
बाध्य होने की सहमति

वर्तमान कन्वेंशन, हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन और हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों द्वारा औपचारिक पुष्टि के अध्यधीन होगा। यह किसी भी राज्य या क्षेत्रीय एकीकरण संगठन द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए खुला होगा जिसने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

अनुच्छेद 44
क्षेत्रीय एकीकरण संगठन

1. "क्षेत्रीय एकीकरण संगठन" से किसी दिए गए भूभाग के संप्रभु राज्यों द्वारा संस्थित एक संगठन अभिप्रेत होगा जिसे इसके सदस्य राज्यों ने वर्तमान कन्वेंशन द्वारा अभिशासित मामलों के संबंध में सक्षमता हस्तांतरित कर दी है। ये संगठन, औपचारिक पुष्टि या अंगीकार किए जाने के अपने लिखतों में, वर्तमान कन्वेंशन द्वारा अभिशासित मामलों के संबंध में उनकी सक्षमता की सीमा की घोषणा करेंगे। इसके बाद, वे अपनी सक्षमता की सीमा में किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन की सूचना डिपॉजिटरी को देंगे।
2. वर्तमान कन्वेंशन में "पक्षकार राज्य" के संदर्भ ऐसे संगठनों पर उनकी सक्षमता की सीमा के भीतर लागू होंगे।
3. वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 45, पैराग्राफ 1 और अनुच्छेद 47, पैराग्राफ 2 और 3 के प्रयोजनों के लिए, क्षेत्रीय एकीकरण संगठन द्वारा निक्षेपित लिखत की गणना नहीं की जाएगी।
4. क्षेत्रीय एकीकरण संगठन, अपनी सक्षमता के मामलों में, पक्षकार राज्यों के सम्मेलन में इस कन्वेंशन में अपने सदस्य राज्यों की संख्या के बराबर संख्या में मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा संगठन मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा यदि उसका कोई सदस्य राज्य अपने अधिकार का प्रयोग करता है, और इसके विपरीत के लिए भी यही लागू होगा।

अनुच्छेद 45
प्रवर्तन

1. वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन या अंगीकार किए जाने के बीसवें लिखत के निक्षेप के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा।
2. ऐसे बीसवें लिखत के निक्षेप के बाद वर्तमान कन्वेंशन का औपचारिक अनुसमर्थन, पुष्टि या अंगीकार करनेवाले प्रत्येक राज्य या क्षेत्रीय एकीकरण संगठन के लिए, यह कन्वेंशन, अपनी स्वयं की ऐसी लिखत के निक्षेप के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा।

अनुच्छेद 46 आरक्षण

1. वर्तमान कन्वेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन के साथ असंगत आरक्षण अनुमत नहीं होगा।
2. आरक्षण किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 47
संशोधन

1. कोई भी पक्षकार राज्य वर्तमान कन्वेंशन में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रस्तुत कर सकता है। महासचिव यह अधिसूचित किए जाने का अनुरोध करते हुए पक्षकार राज्यों को किसी भी प्रस्तावित संशोधन की सूचना कि वे प्रस्तावों पर विचार करने और निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ पक्षकार राज्य सम्मेलन का आयोजित किए जाने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि ऐसी सूचना की तारीख से चार माह के भीतर, कम से कम एक तिहाई पक्षकार राज्य ऐसे के सम्मेलन के पक्ष में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में महासचिव, सम्मेलन का आयोजन करेगा। उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्य के दो तिहाई बहुमत द्वारा अपनाए गए किसी भी संशोधन को महासचिव द्वारा अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा और उसके बाद स्वीकृति के लिए सभी पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार, अपनाया और अनुमोदित संशोधन, संशोधन को अपनाए जाने की तारीख को पक्षकार राज्यों द्वारा निक्षेपित स्वीकृति लिखतों की संख्या दो तिहाई पहुंचने के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा। तत्पश्चात, किसी भी पक्षकार राज्य के लिए संशोधन, स्वीकृति की अपनी लिखत के निक्षेपण के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा। संशोधन केवल उन पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी होगा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।
3. यदि पक्षकार राज्य सम्मेलन द्वारा आम सहमति से यह निर्णय लिया जाता है, तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार अपनाया और अनुमोदित किया गया संशोधन, जिसका संबंध अनन्य रूप से अनुच्छेद 34, 38, 39 और 40 से है, संशोधन को अपनाए जाने की तारीख को निक्षेपित स्वीकृति लिखतों की संख्या दो तिहाई पहुंचने के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा।

अनुच्छेद 48
प्रत्याख्यान

पक्षकार राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना द्वारा वर्तमान कन्वेंशन का प्रत्याख्यान कर सकता है। यह प्रत्याख्यान, महासचिव द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के एक वर्ष बाद प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद 49

सुगम्य प्रारूप

वर्तमान कन्वेंशन का पाठ सुगम्य प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुच्छेद 50

प्रामाणिक पाठ

वर्तमान कन्वेंशन के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होने के कारण, वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल

वर्तमान प्रोटोकॉल के पक्षकार राज्य निम्नवत सहमत हैं:

अनुच्छेद 1

1. वर्तमान प्रोटोकॉल का कोई पक्षकार राज्य ("स्टेट पार्टी") दिव्यांगजन अधिकार समिति ("समिति") के इसके अधिकारिता क्षेत्र के अध्यधीन व्यक्तियों या व्यक्तिय समूहों से या उनकी ओर से, जो पक्षकार राज्य द्वारा कन्वेंशन के प्रावधानों के उल्लंघन का पीडित होने का दावा करते हैं, संसूचना प्राप्त करने और उस पर विचार करने की सक्षमता को मान्यता प्रदान करता है।
2. समिति कोई संसूचना प्राप्त नहीं करेगी यदि इसका संबंध कन्वेंशन के पक्षकार राज्य से है जो वर्तमान प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं है।

अनुच्छेद 2

समिति एक संसूचना को अग्राह्य मानेगी जब:

(क) संसूचना अनाम है;
(ख) संसूचना में ऐसी संसूचना प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग किया गया है या कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ असंगत है;
(ग) समिति द्वारा इसी मामले की पहले ही जांच की जा चुकी है या की जा रही है अथवा अंतरराष्ट्रीय जांच या निपटान की किसी अन्य प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है;
(घ) सभी उपलब्ध घरेलू समाधान नि:शेष नहीं रहे हैं। वहां यह नियम नहीं होगा जहां समाधानों का प्रयोग अनुचित रूप से लंबे समय तक किया जाता है या जिससे प्रभावी राहत मिलने की संभावना नहीं है;
(ङ) यह स्पष्ट रूप से गलत है या पर्याप्त सिद्ध नहीं है; अथवा जब
(च) संसूचना में दिए गए तथ्य संबंधित पक्षकार राज्य पार्टी के लिए वर्तमान प्रोटोकॉल के प्रवर्तन से पूर्व घटित हुआ है, जब तक कि वे तथ्य उस तारीख के बाद जारी नहीं रहते।

अनुच्छेद 3

समिति वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अध्यधीन, इसे संप्रेषित किसी भी संसूचना को गोपनीय रूप से पक्षकार राज्य के ध्यान में लाएगी। प्राप्तकर्ता राज्य छह माह के भीतर समिति

को मामला और समाधान, यदि कोई हो, जो राज्य द्वारा किए जा सकते हैं, स्पष्ट करते हुए लिखित स्पष्टीकरण अथवा विवरण प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 4

1. समिति, संसूचना प्राप्ति के बाद और मेरिट का निर्धारण पूरा किए जाने से पूर्व किसी भी समय संबंधित पक्षकार राज्य को उसके द्वारा तत्काल विचार किए जाने के लिए अनुरोध भेज सकती है कि पक्षकार राज्य, कथित उल्लंघन के पीडित या पीड़ितों को संभव अपूरणीय क्षति से बचने के लिए अंतरिम उपाय, जो आवश्यक हों, करे।
2. जहां समिति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करती है, इसका आश्य संसूचना की स्वीकार्यता या उसके मेरिट का निर्धारण करना नहीं है।

अनुच्छेद 5

समिति वर्तमान प्रोटोकॉल के तहत संसूचना की जांच करते समय बंद बैठकें आयोजित करेगी। किसी संसूचना की जांच करने के बाद, समिति अपने सुझाव और सिफारिशें, यदि कोई हो, संबंधित पक्षकार राज्य और याचिकाकर्ता को अग्रेषित करेगी।

अनुच्छेद 6

1. यदि समिति को विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसमें किसी पक्षकार राज्य द्वारा गंभीर या व्यवस्थित उल्लंघन का संकेत मिलता है, तो समिति उस पक्षकार राज्य को सूचना की जांच में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करेगी और इसके लिए संबंधित सूचना के संबंध में समुक्तियां प्रस्तुत करेगी।
2. संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किसी भी समुक्ति और इससे संबंधित अन्य विश्वसनीय पर विचार करते हुए, समिति अपने एक या अधिक सदस्यों को जांच करने और समिति को तत्काल रिपोर्ट करने के लिए नामोद्दिष्ट कर सकती है। जहां आवश्यक हो और पक्षकार राज्य की सहमति से, जांच में उसके क्षेत्र का दौरा शामिल हो सकता है।
3. इस पूछताछ के निष्कर्षों की जांच के बाद, समिति टिप्पणी और सिफारिशों के साथ इन निष्कर्षों को संबंधित पक्षकार राज्य को भेजेगी।

4. संबंधित पक्षकार राज्य, समिति द्वारा भेजे गए निष्कर्ष, टिप्पणियां और सिफारिशें प्राप्त होने के छह माह के भीतर, समिति को अपनी समुक्तियां प्रस्तुत करेगा।
5. यह जांच गोपनीय रूप से की जाएगी और कार्यवाही के सभी चरणों में पक्षकार राज्य का सहयोग मांगा जाएगा।

अनुच्छेद 7

1. समिति, संबंधित पक्षकार राज्य को वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के तहत की गई जांच के उत्तर में किए गए उपायों का विवरण कन्वेंशन के अनुच्छेद 35 के तहत अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
2. समिति, यदि आवश्यक हो, अनुच्छेद 6, पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद, संबंधित पक्षकार राज्य को ऐसी जांच की प्रतिक्रिया में किए गए उपायों की सूचना देने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक पक्षकार राज्य, वर्तमान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन या उसे अंगीकार करते समय, यह घोषणा कर सकता है कि वह अनुच्छेद 6 और 7 में उपलब्ध कराई गई समिति की सक्षमता को मान्यता नहीं देता।

अनुच्छेद 9

वर्तमान प्रोटोकॉल के डिपॉजिटरी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होंगे।

अनुच्छेद 10

वर्तमान प्रोटोकॉल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों और क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए 30 मार्च 2007 को खुला होगा।

अनुच्छेद 11

वर्तमान प्रोटोकॉल, वर्तमान प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि या स्वीकृति की है। यह वर्तमान प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों द्वारा औपचारिक पुष्टि के अध्यधीन होगा, जिन्होंने कन्वेंशन की औपचारिक पुष्टि या स्वीकृति की है। यह किसी भी राज्य या क्षेत्रीय एकीकरण संगठन द्वारा परिग्रहण के लिए खुला होगा, जिसने कन्वेंशन का अनुसमर्थन, इसकी औपचारिक पुष्टि या स्वीकृति की है और जिसने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

अनुच्छेद 12

1. "क्षेत्रीय एकीकरण संगठन" से किसी दिए गए भूभाग के संप्रभु राज्यों द्वारा संस्थित एक संगठन अभिप्रेत होगा जिसे इसके सदस्य राज्यों ने कन्वेंशन और वर्तमान प्रोटोकॉल द्वारा अभिशासित मामलों के संबंध में सक्षमता हस्तांतरित कर दी है। ये संगठन, औपचारिक पुष्टि या अंगीकार किए जाने के अपने

लिखतों में, कन्वेंशन और वर्तमान प्रोटोकॉल द्वारा अभिशासित मामलों के संबंध में उनकी सक्षमता की सीमा की घोषणा करेंगे। इसके बाद, वे अपनी सक्षमता की सीमा में किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन की सूचना डिपॉजिटरी को देंगे।

2. वर्तमान प्रोटोकॉल में "पक्षकार राज्य" के संदर्भ ऐसे संगठनों पर उनकी सक्षमता की सीमा के भीतर लागू होंगे।

3. वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 13, पैराग्राफ 1 और अनुच्छेद 15, पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ, क्षेत्रीय एकीकरण संगठन द्वारा निक्षेपित लिखत की गणना नहीं की जाएगी।

4. क्षेत्रीय एकीकरण संगठन, अपनी सक्षमता के मामलों में, पक्षकार राज्यों की बैठक में इस प्रोटोकॉल में अपने सदस्य राज्यों की संख्या के बराबर संख्या में मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा संगठन मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा यदि उसका कोई सदस्य राज्य अपने अधिकार का प्रयोग करता है, और इसके विपरीत के लिए भी यही लागू होगा।

अनुच्छेद 13

1. कन्वेंशन के प्रवर्तन के अध्यधीन वर्तमान प्रोटोकॉल इसके अनुसमर्थन या अंगीकार किए जाने के दसवें लिखत के निक्षेप के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा।

2. ऐसे दसवें लिखत के निक्षेप के बाद वर्तमान प्रोटोकॉल का औपचारिक अनुसमर्थन, पुष्टि या अंगीकार करनेवाले प्रत्येक राज्य या क्षेत्रीय एकीकरण संगठन के लिए, यह प्रोटोकॉल अपनी स्वयं की ऐसी लिखत के निक्षेप के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा।

अनुच्छेद 14

1. वर्तमान कन्वेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन के साथ असंगत आरक्षण अनुमत नहीं होगा।
2. आरक्षण किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 15

1. कोई भी पक्षकार राज्य वर्तमान प्रोटोकॉल में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रस्तुत कर सकता है[37]महासचिव यह अधिसूचित किए जाने का अनुरोध करते हुए पक्षकार राज्यों को किसी भी प्रस्तावित संशोधन की सूचना कि वे प्रस्तावों पर विचार करने और निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ पक्षकार राज्य सम्मेलन का आयोजित किए जाने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि ऐसी सूचना की तारीख से चार माह के भीतर, कम से कम एक तिहाई पक्षकार राज्य ऐसी बैठक के पक्ष में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में महासचिव, बैठक का आयोजन करेगा। उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्य के दो तिहाई बहुमत द्वारा अपनाए गए किसी भी संशोधन को महासचिव द्वारा अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा और उसके बाद

स्वीकृति के लिए सभी पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार, अपनाया और अनुमोदित किया गया संशोधन, संशोधन को अपनाए जाने की तारीख को पक्षकार राज्यों द्वारा निक्षेपित स्वीकृति लिखतों की संख्या दो तिहाई पहुंचने के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा। तत्पश्चात, किसी भी पक्षकार राज्य के लिए संशोधन, स्वीकृति की अपनी लिखत के निक्षेपण के बाद तीसवें दिन प्रवर्तित होगा। संशोधन केवल उन पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी होगा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

अनुच्छेद 16

पक्षकार राज्य, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना द्वारा वर्तमान प्रोटोकॉल का प्रत्याख्यान कर सकता है। यह प्रत्याख्यान, महासचिव द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के एक वर्ष बाद प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद 17

वर्तमान कन्वेंशन का पाठ सुगम्य प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुच्छेद 18

वर्तमान प्रोटोकॉल के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होने के कारण, वर्तमान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।